

अध्याय - 10

प्रयोजन का स्थायी परिवर्तन

व्यवसाय वाले क्षेत्रों में रिहायशी प्रयोजन से वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु सामान्यतः प्रयोजन के स्थायी परिवर्तन की अपेक्षा होती है। यदि क्षेत्र के भू-उपयोग के अनुसार महा योजना में ऐसा परिवर्तन अनुमत्य हो तो निम्नलिखित शर्तों और निबंधनों के आधार पर इसकी अनुमति प्रदान की जाएगी:-

- (i) स्थानांतरण की अंतिम बिक्री के लिए शर्तें पेश करते समय वाणिज्यिक भूमि के मूल्य तथा स्थानांतरण की अंतिम बिक्री के समय उसके रिहायशी मूल्य के बीच 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान।
- (ii) उपर्युक्त मद (i) में यथोल्लिखित मूल्यों के पूर्ण अंतर के 2.5 प्रतिशत के अंतर से अतिरिक्त भू किराए का भुगतान।
- (iii) यदि पट्टा अप्रतिबंधित है तो अनुपूरक पट्टा निष्पादित करने हेतु सहमत पट्टाधारी संपत्ति के स्थानांतरण अथवा बिक्री के लिए पट्टादाता की पूर्व अनुमति लेगा।

अतिरिक्त प्रीमियम 4 समान किस्तों में वसूला जा सकता है, पहली किस्त तत्काल बाद, दूसरी किस्त 2 वर्ष पूरे होने पर और तीसरी और चौथी किस्त चौथा और पांचवा वर्ष पूरा होने पर। अतिरिक्त भू किराया तीसरा वर्ष पूरा होने के बाद अथवा वाणिज्यिक इमारत का निर्माण कार्य पूरा होने, जो भी पहले हो, के बाद ही वसूला जाएगा।

[7/12/64-एल दिनांकित 6.7.1965]

नोट बुक: प्रयोजन के स्थायी परिवर्तन की अनुमति प्रदान करने पर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उप विधियों के अंतर्गत अनुमति प्रदान करने की तारीख को अनुमत्य अतिरिक्त विनिर्माण कार्य के लिए कोई भी अतिरिक्त प्रीमियम अथवा भू किराया नहीं वसूला जाएगा।

[डब्ल्यूआई-42(476) दिनांकित 5.7.1954]